अनुदान संख्या 25 – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 25 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3052,23,00	3052,26,00	2029,84,39	-1022,41,61
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1002,57,05
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		157,55,00	33,09,30	-124,45,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				118,36,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	13900.00	12828.26	12262.53	-565.73
पु.	R.	-1071.74			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	70897.00	57107.01	56584.46	-522.55
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-13791.99			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18000.00	..	..	..
पु.	R.	-18000.00			
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	122726.00	81809.74	80914.12	-895.62
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-40917.26			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	79550.00	53223.94	53223.28	-0.66
पु.	R.	-26326.06			

(I) ₹18650.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹17900.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹18650.00 lakhs remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹17900.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹3000.00 लाख;

(A) "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India" - ₹3000.00 lakhs;

(खा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹5300.00 लाख;

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats" - ₹5300.00 lakhs;

(गा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूद्धार – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण" – ₹1000.00 लाख;

(C) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - ₹1000.00 lakhs;

(घा) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण– पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण" – ₹2800.00 लाख;

(D) "Forestry - Education and Training- Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹2800.00 lakhs;

(ङ.) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹1200.00 लाख; और

(E) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Climate Change Action Programme- Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹1200.00 lakhs; and

(चा) "प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹4600.00 लाख।

(F) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution" - ₹4600.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above six heads were due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" – ₹1637.47 लाख की बचत (₹13900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कम्प्यूटर तथा अन्य कार्यालय उपकरणों की कम अधिप्राप्ति, कोविड–19 महामारी की वजह से छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा और पेशेवर सेवाओं संबंधी कम दावे प्राप्त होने और केन्द्रीय प्रोसेसिंग प्रणाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment, Forest and Climate Change" - saving of ₹1637.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13900.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, procurement of less computers and other office instruments, receipt of less claims towards leave travel concession, medical and professional services, non-finalization of proposal for the Central Processing System owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2406" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-

(का) “वानिकी” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय” – ₹5442.75 लाख की बचत (₹18400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की संशोधित दरें, कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्य किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण” – ₹1841.38 लाख की बचत (₹5837.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायता” – ₹3523.48 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹30901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – सांविधिक तथा नियामक निकाय” – ₹790.74 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास” –

(क) “राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन” – ₹1335.08

(A) “Forestry” -

(a) “Direction and Administration - Attached/ Subordinate Offices” - saving of ₹5442.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18400.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, revised rates of property tax by South Delhi Municipal Corporation, less works undertaken owing to COVID - 19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building” - saving of ₹1841.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5837.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “Research - Assistance to Autonomous Bodies” - saving of ₹3523.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹30901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021); and

(B) “Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Statutory and Regulatory Bodies” - saving of ₹790.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Afforestation and Ecology Development” -

(a) “National Afforestation and Ecology Development Programme” - National

लाख की बचत (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1871.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और राष्ट्रीय वन रोपण तथा एमआईएस सिस्टम के डेशबोर्ड, उत्कृष्टता केन्द्र के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।

Mission for a Green India" - saving of ₹1335.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1871.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020) was due to less International tours undertaken owing to COVID-19 pandemic, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-finalization of proposal for Centre of Excellence, dashboard for National Afforestation and MIS system.

(ख) "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण – राष्ट्रीय प्राधिकरण"– ₹1068.78 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त पदों का सृजन न किए जाने, कम दौरे किए जाने, राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना को अनुमोदन न मिलने और कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "National Compensatory Afforestation - National Authority" - saving of ₹1068.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-creation of additional posts, less tours undertaken, non-approval of setup for National authority and less receipt of viable proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सर्वेक्षण (वनस्पति) – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹3371.82 लाख की बचत (₹20050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम/पंचायती कर की प्राप्ति न होने, कम प्रकाशन होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices - saving of ₹3371.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20050.00 lakhs) was due to non-receipt of Muncipality/Panchayati tax, less publication, non-filling up of vacant posts, receipts of less proposals owing to COVID-19, and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूद्धार" –

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration" -

(क) "संरक्षण कार्यक्रम – सांविधिक तथा नियामयक निकाय" – ₹1150.00 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन

(a) "Conservation Programmes - Statuary and Regulatory Bodies" - saving of ₹1150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness

चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूद्धार – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1130.00 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹7073.61 लाख की बचत (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, शैक्षिक संस्थानों को बंद किए जाने, अंतिम अनुसंधान परियोजना/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पुस्तिकाओं/रिर्पोटों का प्रकाशन न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय – पर्यावरणीय जागरूकता नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली" – ₹8410.04 लाख की बचत (₹14486.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पर्यावरणीय जागरूकता नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली" – ₹652.31 लाख की बचत (₹1500.00

allowance, and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Research and Ecological Regeneration - Assistance to Autonomous Bodies" - saving of ₹1130.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing in dearness allowance, receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - saving of ₹7073.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020) was due to receipt of less proposals, non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, closure of educational institutions, non-receipt of final Research Project/utilization certificates and non-publication of booklets/reports owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Environmental Planning and Coordination- Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation - saving of ₹8410.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14486.00 lakhs);

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Decision Support System for Environmental Awareness Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

₹652.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(च) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पर्यावरणीय जागरूकता, नीति आयोजना तथा परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली" – ₹784.44 लाख की बचत (₹1500.00 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(f) "Tribal Area Sub-Plan - Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹784.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण हरित कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के कम आयोजन होने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to conduction of less number of Green Skill Development Programme Courses, receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण" –

(C) "Prevention and Control of Pollution" -

(क) "वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹14658.95 लाख की बचत (₹41400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Prevention of air and water pollution - Control of Pollution" - saving of ₹14658.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41400.00 lakhs); and

(ख) "प्रभाव मूल्यांकन – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹3265.46 लाख की बचत (₹10100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹3265.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹6676.00 लाख की बचत (₹19430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कान्फ्रेंस ऑफ पार्टी (सीओपी) के

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹6676.00 lakhs (against the sanctioned Provision of ₹19430.00 lakhs)

लंबित बिलों का भुगतान न होने, कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹9997.09 लाख की बचत (₹31101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थीतिकी प्रणालियों का संरक्षण" – ₹2317.32 लाख की बचत (₹5460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को अनुदान – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹4169.01 लाख की बचत (₹4859.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹600.56 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹800.00 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1200.00 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय

was due to non-clearance of pending bills of Conference of Parties(CoP), receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹9997.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31101.00 lakhs);

(c) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹2317.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5460.00 lakhs);

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹4169.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4859.00 lakhs);

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹600.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs);

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs); and

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less proposals owing to COVID-19

द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1059.23 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 37 प्रतिशत थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹1059.23 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding of ₹500.00 lakhs and constituting 25 percent to 37 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4406”	Major Head “4406”				
वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	3955.00	1846.00	1781.52	-64.48
पु.	R.	-2109.00			
मुख्य शीर्ष “5425”	Major Head “5425”				
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	11800.00	2073.00	1527.78	-545.22
पु.	R.	-9727.00			

(I) मुख्य शीर्ष “4406” – “वानिकी – संचार एवं भवन – संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय” – ₹2173.48 लाख की बचत (₹3955.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “4406” - “Forestry - Communication and Buildings - Attached/ Subordinate Offices” - saving of ₹2173.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3955.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण – संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय" – ₹10272.22 लाख की बचत (₹11800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने, निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment-Attached/Subordinate offices" - saving of ₹10272.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, slow progress of work owing to COVID-19 pandemic, non-finalisation of tender and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.